न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / न्याय / 2021 / प्रकरण संख्या 07 / 2020 दिनांक 18.01.2021

प्रेषिति,

भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला
तहसील माण्डलगढ

विषयः– अन्तार्गत प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 07 / 2020 उनवान रघुवीरसिंह पिता देवाराम जाति मेघवाल बनाम भैरू बद्री पिता ज्वारा जाति जाट वगैरह मे पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

--000--

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 07 / 2020 उनवान रघुवीरसिंह पिता देवाराम जाति मेघवाल बनाम भैरू बद्री पिता ज्वारा जाति जाट वगैरह मे दिनांक 18.01.2021 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अनुसार ग्राम थलकला तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 2159 / 2049 रकबा 1.7240 है0 भूमि मे से दक्षिणी–पश्चिमि कोने मे 0.15 बीघा भूमि पर से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का व 2.10 बीघा भूमि पर से अप्रार्थी संख्या 3 से 7 तक का तथा 0.03 बीघा पर से अप्रार्थी संख्या 8 का कब्जा हटाकर प्रार्थी रघुवीरसिंह पिता देवाराम जाति मेघवाल निवासी भालोद को संभलाया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 07/2020

दायर दिनांकः 05.11.2020

उनवान

1. रघुवीरसिंह पिता देवाराम जाति मेघवाल निवासी प्लाट नं. 08 ए, निर्मल नगर सिन्धी कॉलोनी वेनाड रोड वोयतावाला, जयपुर

---प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता ज्वारा जाति जाट निवासी नाहरगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. बद्री पिता ज्वारा जाति जाट निवासी नाहरगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. रामलाल पिता रतनलाल जाति भाण्ड निवासी मीठा तह0 माण्डलगढ जि0 भीलवाडा
4. भैरू पिता रतनलाल जाति भाण्ड निवासी मीठा तह0 माण्डलगढ जि0 भीलवाडा
5. नारायण पिता रतनलाल जाति भाण्ड निवासी मीठा तह0 माण्डलगढ जि0 भीलवाडा
6. उदयलाल पिता रतनलाल जाति भाण्ड नि0 मीठा तह0 माण्डलगढ जि0 भीलवाडा
7. कैलाश पिता रतनलाल जाति भाण्ड निवासी मीठा तह0 माण्डलगढ जि0 भीलवाडा
8. छगना पिता हजारी जाति बैरवा नि0 भाण्ड का झूपडा, थलकलां तह0 माण्डलगढ

---अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री संजय चौहान :— अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रतिराम रेवारी :— अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 18.01.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय चौहान के दिनांक 21.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे नाम ग्राम थलकला तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 2159/2049 रकबा 1.7240 है0, भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को कभी भी अप्रार्थीगण को विक्रय, रहन या भागीदारी पर नही दी है। प्रार्थी ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी आदेश प्राप्त किया। आदेश की पालना मे भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला द्वारा दिनांक 11.06.2020 को उक्त भूमि की मुस्तकील विन्दूओ से पत्थरगढी की गई तो आराजी नं. 2159/2049 रकबा 1.7240 है0 भूमि मे से दक्षिणी–पश्चिमि कोने मे 0.15 वीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का व 2.10 वीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 से 7 तक का तथा 0.03 वीघा पर अप्रार्थी संख्या 8 का कब्जा पाया गया। अप्रार्थीगण को कब्जा छोडने वावत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर भूमि प्रार्थी को सपूर्द करने वावत निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, विवादित भूमि की जमाबंदी व पत्थरगढी–मौका पर्चा की सत्यापित प्रति

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया।

दिनांक 15.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 ओर से अधिवक्ता श्री सतिराम रेवारी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थीगण ने अपने कब्जासूदा भूमि का क्रय व आवंटन से प्राप्त हुई है जिस पर थोर व मेड बंदी कर कब्जा किया हुआ है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से दिनांक 18.12.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की नकल, पत्थगढी का मौका पर्चा, विपक्षी संख्या 01 व 02 के जवाब प्रार्थना पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर प्रार्थी के नाम ग्राम थलकला के आराजी नं. 2159/2049 रकबा 1.7240 है0 भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला द्वारा दिनांक 11.06.2020 को की पत्थरगढी गई जिसके मौका पर्चा अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को आदेशित किया जाता है कि ग्राम थलकला तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 2159/2049 रकबा 1.7240 है0 भूमि मे से दक्षिणी--पश्चिमि कोने मे 0.15 बीघा भूमि पर से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का व 2.10 बीघा भूमि पर से अप्रार्थी संख्या 3 से 7 तक का तथा 0.03 बीघा पर से अप्रार्थी संख्या 8 का कब्जा हटाकर प्रार्थी रघुवीरसिंह पिता देवाराम जाति मेघवाल निवासी भालोद को संभलाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार माण्डलगढ

तहसीलदार, माण्डलगढ

Scanned with CamScanner